कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लेखापरीक्षा नियमावली, (नियमावली) 2011 को कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देने, लोगो को उनके अधिकारों तथा हकदारी के संबंध में सूचित एवं शिक्षित करने, लोगो को अपनी आवश्यकताओं तथा शिकायतों को अभिव्यक्त करने हेतु एक मंच प्रदान करने, भष्टाचार को रोक कर योजना के कार्यान्वयन तथा सुदृढ़ीकरण के सभी स्तरो में लोगो की भागीदारी को बढ़ावा देने तथा कार्यान्वयन का सुधार करने के उद्देश्यों के साथ लागू किया गया था। नियमावली, जो सामाजिक लेखापरीक्षा करने की अवसंरचना तथा प्रक्रिया की प्रवृत्ति का प्रावधान करती है।

कार्यान्वयन नियमावली की लेखापरीक्षा सामाजिक लेखापरीक्षा इकाईयों की स्थापना, योजना तथा सामाजिक लेखापरीक्षा करने का निर्धारण करने हेतु की गई थी। इस उद्देश्य के लिए हमने 25 राज्यों में 1140 *ग्राम पंचायतों* को शामिल किया जहां 2014-15 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षाएं की गई थीं।

लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई तथा संसाधन व्यक्ति

- **अरूणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, केरल** तथा **उत्तराखण्ड** में सामाजिक लेखापरीक्षा इकाईयों की स्थापना नहीं की गई थी।

(पैरा 2.1)

- **असम, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान** तथा **पश्चिम बंगाल** में सामाजिक लेखापरीक्षा इकाईयां राज्य सरकारों के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक सेल के रूप में कार्य कर रही थीं।

(पैरा 2.1)

- **मध्यप्रदेश, मणिपुर** तथा **मिजोरम** में यद्यपि समितियों की सामाजिक लेखापरीक्षा इकाईयों के रूप में स्थापना की गई है फिर भी उनकी अध्यक्षता विभागीय अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त कार्यभार के रूप में की गई थी। **ओडिशा** में निदेशक का पद मार्च 2014 से रिक्त पड़ा था।

(पैरा 2.1)

- सहायता तथा सामाजिक लेखापरीक्षा करने हेतु संसाधन व्यक्तियों की कमी पाई गई थी। 14 राज्यों में जहां स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा इकाईयो की स्थापना की गई थी, 43 (22 प्रतिशत) राज्य संसाधन व्यक्तियों, 358 (24 प्रतिशत) जिला संसाधन व्यक्तियों तथा 1957 (57 प्रतिशत) ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की कमी पाई गई थीं। पांच राज्यों में ग्राम संसाधन व्यक्तियों का निर्धारण नहीं किया गया था जबकि नौ राज्यों में, ग्राम संसाधन व्यक्तियों की पर्याप्त रूप से पहचान/नियोजन किया गया था।

(पैरा 2.3.1)

- राज्यो ने मंत्रालय द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा करने में मदद करने हेतु, शुभारम्भ लागू विशेष परियोजना का लाभ नही उठाया था तथा सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु संसाधनों को सुदृढ़ करने में भी विफल था।

(पैरा 2.5)

सामाजिक लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन

- अधिकाशं राज्यों में सामाजिक लेखापरीक्षा करने हेतु वार्षिक कैलेण्डर तैयार नहीं किया गया था।

(पैरा 3.1.1)

- 2014-15 के दौरान 25 राज्यों में सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु शामिल किए जाने वाली 2,34,594 ग्रा.पं. में से केवल 1,20,841 ग्रा.पं. (51 प्रतिशत) को शामिल किया गया था। लेखापरीक्षा ने 1124 ग्रा.पं. का चयन किया जहां 2014-15 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा की गई थी तथा 368 ग्रा.पं. में सामाजिक लेखापरीक्षा दो बार जबकि 756 ग्रा.पं. में एक बार की गई थी।

(पैरा 3.1.2) *एवं* ***(पैरा 3.2)***

- काफी अधिक मामलों में अभिलेखों के गैर-अधिग्रहण/गैर प्रस्तुति के उदाहरण पाए गए थे। कुछ मामलों में अभिलेखों के अधिग्रहण/सत्यापन के समर्थन में प्रमाण सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ सलंग्न नहीं किया गया था।

(पैरा 3.2.1)

- **असम, बिहार, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, त्रिपुरा** तथा **उत्तर प्रदेश** में लाभार्थियों से मिलने तथा उनके साथ संबंधित सूचना बांटने हेतु घर-घर जाकर दौरे नहीं किए गए थे।

(पैरा 3.2.1)

- **असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा** तथा **उत्तर प्रदेश** के पास कार्य स्थलों के प्रत्यक्ष सत्यापन का कोई प्रमाण नहीं था। पंजाब तथा हरियाणा में कार्य स्थलों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

(पैरा 3.2.1)

- *ग्राम सभा* बैठके न करने ग्राम समुदाय की कम भागीदारी, सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षो का विचार-विमर्श न करने, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को स्थानीय भाषा तथा निर्धारित प्रारूप में तैयार न करने, *ग्राम सभा* तथा सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग न करने तथा वैबसाईट पर अपलोड न करने आदि के उदाहरण पाए गए थे।

(पैरा 3.3)

सामाजिक लेखापरीक्षा की अनुवर्ती कार्रवाई

- **असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा** तथा **पश्चिम बंगाल** में सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा जन सुनवाई ब्लॉक स्तर पर नहीं होने के कारण खुले रूप से आदेश का जारी होना सुनिश्चित नहीं हुआ था।

(पैरा 4.2)

- **आन्ध्र प्रदेश** तथा **तेलंगाना** ने अप्रैल 2013 के पश्चात राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन नहीं किया था। गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, ओडिशा तथा पंजाब में राज्य रोजगार गारंटी परिषद ने राज्य सरकारो द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई को मॉनीटर नहीं किया था।

(पैरा 4.4)

- सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के सारांश को राज्यों द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई को राज्य विधान मण्डल एवं संसद के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया था।

(पैरा 4.5) एवं (पैरा 4.6)

अनुशंसाओं का सार

- मंत्रालय को एक स्वतंत्र एस.ए.यू. की स्थापना करने हेतु समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए तथा राज्य सरकारों पर दबाव डालना चाहिए।

- मंत्रालयों को सभी स्तरों पर पर्याप्त प्रशिक्षित संसाधन व्यक्तियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों पर दबाव डालना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने हेतु कि वार्षिक कैलेण्डर की तैयारी तथा इसके कार्यान्वयन को भी मॉनीटर किया गया था, प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।
- सामाजिक लेखापरीक्षा की विश्वसनीयता को आगे बढ़ाने हेतु सभी स्तरों पर अभिलेख प्रबंधन का सुधार किया जाना चाहिए।
- सामाजिक लेखापरीक्षा दल को वर्तमान प्रावधानों के अनुसार परियोजना स्थलों की जांच को सुनिश्चित करना चाहिए तथा घर-घर जाकर दौरा करना चाहिए।
- सामाजिक लेखापरीक्षा पर *ग्राम सभा* बैठकों में पूर्ण भागीदारी हेतु पणधारकों में जागरूकता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा बैठकों के आयोजन तथा रिपोर्टिंग क्रियाविधि को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सभी स्तरों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।